यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/वित्त अधिकारी (माध्यमिक) रुद्रप्रयाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/वित्त अधिकारी (माध्यमिक) रुद्रप्रयाग के अवधि 04/2011 से 11/2018 तक के लेखा-अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री राजा रंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 04.12.2018 से 07.12.2018 तक वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के अपर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवीन्द्र कुमार, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री राजा रंजन राव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मनोज कुमार सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 24.04.2011 से 04.05.2011 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 08/2008 से 03/2011 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2011 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**-कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)/वित्त अधिकारी (माध्यमिक),रुद्रप्रयाग का भौगलिक अधिकार क्षैत्र जनपद रुद्रप्रयाग मे संचालित माध्यमिक विद्यालयों मे शिक्षा संबंधी कार्यों का समन्वय एवं क्रियाव्यन किया जाता है।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का जनपद रुद्रप्रयाग का समस्त क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	134.76	134.76	512.17	512.17	-	-
2016-17	-	-	107.47	107.47	316.27	316.27	-	-
2017-18	-	-	120.74	120.74	399.74	399.74	-	-
2018-19 (माह 11/2018)	-	-	137.91	111.14	380.97	222.25		26.76+158.72

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2015-16	शून्य					
2016-17						
2017-18						
2018-19 (माह 11/2018)						

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग मे संचालित कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)/वित्त अधिकारी (माध्यमिक),रुद्रप्रयाग के वेतन एवं अन्य भत्तो तथा जिला योजना में माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण कार्यो मे किया जाता है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा

↓

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

↓

अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

↓

मुख्य शिक्षा अधिकारी

↓

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)

(v) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)/वित्त अधिकारी(माध्यमिक) रुद्रप्रयाग। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी(माध्यमिक)/वित्त अधिकारी(माध्यमिक) रुद्रप्रयाग की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 08/2011, 03/2016, 03/2017 एवं 12/2017 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर- 1: माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक (एल०टी०) के कुल 481(कुल स्वीकृत पदों का 31%) पदों का रिक्त रहना।

उत्तराखंड शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 संख्या: /XXIV-2/2012-6(3)/2012 देहरादून दिनांक 09-10-12 कार्यालय ज्ञाप द्वारा विद्यालयी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत पुनर्गठन नवीन ढाँच के अनुरूप जनपद स्तर पर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) के कार्य एवं दायित्व में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पंजीकृत छात्रों को शिक्षण व्यवस्था की मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवाना है शिक्षण व्यवस्था की मूलभूत सुविधाओं में विघालय भवन, शिक्षक की नियुक्ति, विद्यालयों में छात्रों के लिए शैक्षिक एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं सम्मिलित होती है।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक), रुद्रप्रयाग के विभिन्न माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक की नियुक्ति से संबन्धित पत्रावली की जांच में पाया गया कि जनपद के माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक(एल०टी०) के क्रमशः **260** (कुल स्वीकृत पदो की संख्या=700) एवं **221** (कुल स्वीकृत पदों की संख्या=856) पद रिक्त थे। इस प्रकार माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक (एल०टी०) के कुल 481 पद रिक्त पाए गये तथा यह सभी पद एक वर्ष से अधिक अवधि से रिक्त है।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर मे बताया गया कि नियुक्ति प्रकिया अपर निदेशक, पौडी एवं निदेशक स्तर से होने तथा उच्चाधिकारी से बार-बार रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु पत्राचार किया जाता है इकाई का उत्तर अमान्य है क्योंकि शिक्षण जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व में माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक(एल०टी०) के क्रमशः **260** (कुल स्वीकृत पदो का 37.14%) एवं **221** (कुल स्वीकृत पदो का 25.81%) पद रिक्त हैं।

अत: माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता एवं सहायक अध्यापक(एल०टी०) के कुल 481(31%) पदों के रिक्त रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग दो 'ब'</u>

प्रस्तर- 2: धनराशि रु. 532.81 लाख व्यय होने के पश्चात भी निर्माण कार्य अपूर्ण रहना।

(1) जिला योजना के अंतर्गत जिले मे संचालित/स्थापित विधालय भवन मे चारदीवारी निर्माण/ अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण/ भवन की मरम्मत/पेयजल संयोजन / बालक- बालिका शौचालय का निर्माण आदि अन्य कार्यों को किया जाता हैं।

जिला योजना के अंतर्गत जनपद-रुद्रप्रयाग मे कार्यालय को आवंटित निर्माण कार्यों की जाँच मे पाया गया कि जिला योजना (माध्यमिक शिक्षा) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के 10 निर्माण कार्य ऐसे थे जिनकी लिए कार्यदायी संस्थाओं-ग्रामीण निर्माण विभाग(RWD) प्रखण्ड, रुद्रप्रयाग एवं जल संस्थान,`रुद्रप्रयाग को निर्माण कार्य कि कुल लागत रुपये 102.90 लाख के सापेक्ष रुपये 102.74 लाख अब तक हस्तांतरित/ व्यय किए जा चुके थे (संलग्नक-A) लेकिन लेखापरीक्षा तिथि तक यह सभी कार्य प्रगति पर थे।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उपरोक्त कार्यों के पूर्ण होने की निर्धारित-तिथि के संबंध में लेखापरीक्षा को अवगत कराया कि इस संबंध में सूचना प्राप्त कर लेखापरीक्षा को अवगत कराया जायेगा तथा कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अत: रुपये 102.74 लाख हस्तांतरित/ व्यय होने के बाद भी वर्ष 2017-18 के 10 निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

(2) राज्य गठन के पश्चात राज्य सैक्टर के अंतर्गत स्वीकृत राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति रिपोर्ट(माह नवम्बर,2018) की स्थितिनुसार तीन अपूर्ण कार्यों की स्थिति इस प्रकार है- **(धनराशि लाख ₹ में)**

क्रं सं.	**निर्माण कार्यों का नाम**	**मूल स्वीकृत लागत**	**पुनरीक्षित आंगणन की लागत**	**कार्यदायी संस्थान को अवमुक्त धनराशि**	**स्वीकृति का वर्ष**	**भौतिक प्रगति (% में)**
1	रा.इ.का.क्वीलाखाल का भवन निर्माण	91.95	109.96	109.96	2007-08	57
2	रा.इ.का.भीरी रूद्रप्रयाग का भवन निर्माण	84.53	-*	84.53	2007-08	50
3	रा.इ.का.जाखाल का भवन निर्माण (मा.मु. मं.घो.)	101.09	156.40	123.86	2009-10	95
		277.57				

*सूचना नही दी गयी

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इकाई से इन सभी कार्यों की अधतन स्थिति, पुनरीक्षित आंगणन की लागत एवं कार्यों को पूर्ण करने की निर्धारित तिथि के संबंध में साक्ष्य सहित अवगत करने को कहा गया तो इकाई द्वारा उपर्युक्त तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर मे बताया गया कि संबन्धित सूचना तैयार कर लेखापरीक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

अत: ₹ 277.57 लाख के वर्ष 2009-10 के पूर्व के तीन राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

3) विधालय भवन मे छात्रों को आधार भूत सुविधाएं प्रदान करना शिक्षा का अनिवार्य उद्देश्य है। जनपद मे माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्माण कार्य राज्य सैक्टर/जिला योजना / नाबार्ड वित्त पोषित योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। कार्यालय के अवधि 04/2011 से 11/2018 तक के निर्माण कार्यों की जांच मे पाया गया की जिला योजना (2017-18) के चार निर्माण कार्यों (संलग्न 'ए') जिनकी कुल निर्माण कार्य की लागत ₹ 88.44 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को ₹ 34.54 लाख की धनराशि हस्तांतरित हो चुकी थी तथा राज्य सैक्टर के अंतर्गत स्वीकृत पाँच कार्यों जिनकी कुल निर्माण कार्य की लागत ₹ 250.28 लाख के सापेक्ष कार्यदायी संस्था को ₹ 117.96 लाख की धनराशि हस्तांतरित हो चुकी थी (एक कार्य वर्ष 2015-16 का तथा शेष चार कार्य वर्ष 2016-17 के (संलग्नक- 'B') लिए शासन द्वारा पूर्ण धनराशि ₹ 338.72 लाख के सापेक्ष ₹ 152.50 लाख की धनराशि हस्तांतरित तथा शेष धनराशि ₹ 186.22 लाख (कुल धनराशि का 54.97 %)आवंटित नहीं करने के कारण कार्य अपूर्ण थे, जिसके कारण विद्यालयों मे छात्रों को प्राप्त होने वाली मूलभूत सुविधाए लंबित थी।

उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हेए उपरोक्त कार्यों के पूर्ण होने की निर्धारित-तिथि के संबंध में लेखापरीक्षा को अवगत कराया कि इस संबंध में धनराशि प्राप्त होने पर अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराये जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अत: धनराशि ₹ 152.50 लाख खर्च होने के पश्चात भी विगत वर्षों के निर्माण कार्यों के अपूर्ण रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तर-3: ₹ 50.49 लाख के व्यय संबंधी वॉउचर्स लेखापरीक्षा जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराया जाना।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) रुद्रप्रयाग के अवधि 04/2011 से 11/2018 तक लेखापरीक्षा के दौरान चयनित माह 03/2016 तथा माह 03/2017 के अभिलेखों की जांच के दौरान उक्त माह का DDO reconciliation Statements तथा रोकड़-बही मे दर्शाये गए कार्यालय द्वारा विभिन मदों मे किए गए व्यय संबन्धी Vouches (प्रति संलग्न) जिनकी कुल धनराशि ₹50.49 लाख है, को लेखापरीक्षा को जांच के लिए प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त के संबंध मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुए उत्तर मे बताया गया कि कार्यालय द्वारा संबन्धित वॉउचर्स को उपलब्ध कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अत: ₹ 50.49 लाख की धनराशि के व्यय संबंधी वॉउचर्स लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
IC/AIR No.06/2011-12	1	1
AIR NO.95/2008-09	प्रस्तर-2	शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)/वित्त अधिकारी (माध्यमिक) रुद्रप्रयाग तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत पंजीकृत छात्रों को शिक्षण व्यवस्था की मूलभूत सुविधाऑ को उपलब्ध करवाना।

(ii) माध्यमिक स्तर के भवन निर्माण संबंधी कार्यो का भौतिक सत्यापन करना तथा अंतिम भुगतान के लिए संस्तुत करना

(iii) माध्यमिक विद्यालयों के कम्प्यूटर शिक्षण का अनुश्रवण करना।

2. **सतत् अनियमितताएः**

-

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्र. स.	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री जे.एस.बिष्ट	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	03/08/2012 से 12/08/2012
2	श्री कमलेश कुमार गुप्ता	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	13/08/2012 से 21/08/2014
3	श्री एल.एस.दानू	जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)	22/08/2014 से वर्तमान तक

1.लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया

क्र. स.	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री आनंद राम	वित्त अधिकारी (माध्यमिक)	24/11/2006 से 30/10/2014
2	श्री बचन सिंह शाह	वित्त अधिकारी (माध्यमिक)	01/11/2014 से 28/02/2015
3	श्री आर.सी.	वित्त अधिकारी (माध्यमिक)	01/03/2015 से 31/05/2015
4	श्री हरेन्द्र प्रसाद बहुगुणा	वित्त अधिकारी (माध्यमिक)	01/06/2015 से 31/05/2016
5	श्री गिरीश चन्द्र	वित्त अधिकारी (माध्यमिक)	01/06/2016 से 09/09/2018
6	सीमा दीपक कोठियाल	वित्त अधिकारी (माध्यमिक)	10/09/2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय मुख्य शिक्षा अधिकारी, रुद्रप्रयाग को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.